

न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती सुमाष चन्द्र
तहसीलदार उदयपुरवाटी सरकार जरिये पटवारी हल्का पचलंगी,

बनाम

श्री प्रहलाद पुत्र देवीसहाय जाति जाट निवासी ग्राम पचलंगी तहसील उदयपुरवाटी
अर्तगत धारा 91 राज0 भू, राजस्व अधिनियम, 1956

:-निर्णय:-

प्रकरण संख्या:- 14/2021

दिनांक 30.12.2021

पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। अप्रार्थी अनुपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का पचलंगी ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश कर सूचित किया कि संवत 2078 में मौजा ग्राम पचलंगी पटवार हल्का पचलंगी के हाल भूमि खसरा नम्बर 1009 कुल रकबा 0.57 है0 किस्म बंजड़ 1 में से 0.33 है0 सरकारी भूमि पर श्री प्रहलाद पुत्र देवीसहाय जाति जाट निवासी ग्राम पचलंगी ने अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है। प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने अपना जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी ने अपने जवाब में उल्लेखित किया कि उक्त भूमि पर उसका कदीमी कब्जा चला आ रहा है, यह भूमि उसके हक में नियमन करना न्यायोचित है। अप्रार्थी ने उक्त सरकारी भूमि मौजा ग्राम पचलंगी के हाल भूमि खसरा नम्बर 1009 कुल रकबा 0.57 है0 किस्म बंजड़ 1 में से 0.33 है0 भूमि पर अतिक्रमण करने के सम्बंध में किसी प्रकार का कदीमी साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किया है।

पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद अवलोकन अप्रार्थी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत सरकारी भूमि पर अनाधिकृत रूप अतिक्रमण करने के फलस्वरूप अतिक्रमि घोषित किया जाता है तथा उपरोक्त मुतनाजा अराजी से भौतिक रूप से वेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश

वाके ग्राम पचलंगी पटवार हल्का पचलंगी के हाल भूमि खसरा नम्बर 1009 कुल रकबा 0.57 है0 किस्म बंजड़ 1 में से 0.33 है0 सरकारी भूमि पर से श्री प्रहलाद पुत्र देवीसहाय जाति जाट निवासी ग्राम पचलंगी को वेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं, साथ ही इस अनाधिकृत अतिक्रमण के दण्ड स्वरूप वार्षिक लगान 1.60 रुपये का 50 गुणा यानि कुल 80/-रुपये (अक्षरे रू अस्सी मात्र) बतौर जुर्माना अप्रार्थी पर आरोपित किया जाता है। निर्णय अनुसार मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखकार एवं भू0अभिलेख निरीक्षक को लिखा जाये। भू अभिलेख निरीक्षक को आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी को सरकारी भूमि से वेदखल कर रिपोर्ट वेदखली पेश करें।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। वाद तामील तकमील दाखिल दफ़तर हो। निर्णय आज दिनांक 30.12.2021 को खुले इजलास सुनाया गया।

2021-22

कपड़े 80रु

8032

राजस्थान की 158

Rajasthan


तहसीलदार उदयपुरवाटी
(सुमाष चन्द्र)
तहसीलदार उदयपुरवाटी